



प्रेस नोट

दिनांक 13.12.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 13.12.2024 को थाना जरिया पुलिस के द्वारा एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व कारतूस के साथ अभियुक्त निर्दोष पुत्र भगत राम निवासी मु० पठानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 22 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 316/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त निर्दोष पुत्र भगत राम (उम्र करीब 22 वर्ष) निवासी मु० पठानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण-

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर।
गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ०नि० रोहित यादव
- 2.का० प्रिंस कुमार
- 3.का० अरविन्द कुमार

